Government has taken a number of steps to replenish the stocks which include:—

(1) Decision to import upto 4 million tonnes of wheat during 1996-97 and 1997-98;

(2) Enhancement of procurement price of wheat in 1997-98 season by Rs. 95/- per quintal (inclusive of bonus) over the price paid in the previous year;

(3) Making adequate arrangements for purchasing all the quantities of wheat conforming to the prescribed specifications offered for sale by farmers at the procurement price fixed.

(4) Decision not to allow export of wheat and wheat products-during 1997-98.

चीनी मिलों पर किसानों की बकाया राशि

4506. **श्री राम जेठमलानी :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वर्ष 1996-97 में चीनी-पेराई अवधि में किसानों की चीनी मिलों पर बकाया राशि में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो मार्च, 1997 तक बकाया राशि कितनी थी; और

(ग) सरकारी, गैर- सरकारी और सहकारी मिलों पर अलग-अलग कितनी धनराशि बकाया है?

कृषि मंत्री और खाद्य तथा नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) और (ख) 1995-96 गन्ना पेराई अवधि में 31.3.1996 तक, 1260.31 करोड़ रू. की तुलना में 1996-97 गन्न पेराई अवधि में 31.3.1997 तक, चीनी मिलों के पास किसानों की बकाया राशि 1967.39 करोड़ रू. थी।

(ख) 1996-97 मौसम के लिए, मार्च, 1997 के अन्त में सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी चीनी मिलों के पास बकाया राशि निम्नवत थीः-

(लाख रु. में)

सार्वजनिक	22457.13
निजि	45453.24
सहकारी	40828.26

भारतीय खाद्य निगम द्वारा मध्य प्रदेश में उचित-दर दुकानों को घटिया क्वालिटी के खाद्यान्नों की आपूर्ति

4507. **श्री अजीत जोगी :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने मध्य प्रदेश में उचित-दर दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को घटिया क्वालिटी वाले चावल, चीनी और गेंहूं की आपूर्ति की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने की संभावना है;और

(ग) उपभोक्ताओं को पर्याप्त मात्रा में इन खाद्य वस्तुओं की उपलब्ध्ता सुनिश्चित कराने हेतु सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री और खाद्य तथा नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क)जी, नहीं। भारतीय खाद्य निगम मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को केवल अच्छी गुणवत्ता वाले खाद्यान्न (गेहूं और चावल),कीट जन्तुबाधा से मुक्त और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के मानकों के अनुरूप खाद्यान्न आपूर्ति कर रहा है , भारतीय खाद्य निगम मध्य प्रदेश में चीनी का वितरण नहीं कर रहा है। तथापि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए राज्य सरकार को भारतीय चीनी मानक ग्रेड के अनुरूप अच्छी गुणवत्ता की चीनी की आपूर्ति की जाती है।

(ख) प्रश्न नही उठता।

(ग) भारतीय खाद्य निगम खाद्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर किए गए मासिक आवंटन के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य सरकार को गेहूं और चावल रिलीज कर रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्टाक का उठान राज्य सरकार के नामितियों द्वारा उनकी अपनी

अनुसूची के अनुसार मासिक आधार पर किया जाता है। विवरण हेतु भारत सरकार द्वारा खाद्यान्नों के किए गए मासिक आवंटनों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं:-

(1) आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण स्थानों पर प्रत्येक माह अग्रिम रूप से खाद्यानों की पर्याप्त मात्रा रखी जाती है।

(2) भारतीय खाद्य निगम द्वारा परेषण और प्राप्तियों की दैंनिक मानिटरिंग की जाती है।

(3) भंडारण और वितरण के दौरान लदान, उतरान स्थलों पर खाद्यान्नों की गुणवत्ता की जांच की जाती है ।.

Price of levy sugar

4508. SHRI BRAHMAKUMAR BHATT: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the levy sugar price has been enhanced from Rs. 9.05 to Rs. 11.00, recently;

(b) whether with the enhancement of price of levy sugar the question of reimbursement of freight, insurance, transport and handling charges has been included; and

(c) if so, the details in this regard?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND MINISTER OF FOOD AND MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI CHATURANAN MISHRA): (a) No, Sir. The levy sugar price has been enhanced from Rs. 9.05 to Rs. 10.50 per kg. w.e.f. 10.2.1997.

(b) and (c) Reimbursement of interest, transport, handling charges' etc. is included in the margins for wholesalers/ sub-wholesalers and retailers for distributioin of levy sugar. Copies of guidelines for fixing the margins regarding indigenous levy sugar w.e.f. 1.4.1994 and from 1.4.1996 are at Statement I & II respectively.

Statement-I

Guidelines for fixing margins for Retailers/Sub-wholesalers/Wholesalers of indigenous levy sugar applicable from 1.4.1994.

s. No.	Item of Cost	Retailers	Sub-wholesalers/ Wholesalers
1	2	3	4
1.	Interest on Capital	Prevailing interest rate charged by nationalised scheduled banks for IS days on retail levy price minus retailers margin.	Prevailing interest rate charged by the nationalised scheduled banks for one month to wholesalers and for 15